न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–03/2017–18

संघमित्रा सिंह बनाम ऋषभ राज

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20/6/18	**आदेश** आवेदिका के द्वारा यह वाद, विपक्षी श्रीमती ऋषभ राज के नाम से बिहटा अंचल अंतर्गत, मौजा नेऊरा, थाना नं0 104, खाता नं0 160, खेसरा सं0 779 रकबा 14 कट्ठा के लिए कायम जमाबंदी सं0 58 को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है :– **प्रथम पक्ष :** 1. श्रीमती संघमित्रा सिंह, पति राजीव रंजन सिंह, पुरनेन्द्र नगर, थाना–फुलवरीशरीफ, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष :** श्रीमती ऋषभ राज, पति सुरेन्द्र कुमार सिंह, साकिन–गौरक्षणी, थाना–सासाराम, जिला–रोहतास। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत की गयी। निबंधित नोटिस वापस होने के बाद दिनांक 24.11.2017 के दैनिक प्रभात खबर में सूचना प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस वाद में उभय पक्ष के द्वारा दिनांक 13.03.2018 से पैरवी करना छोड़ दिया गया। प्रथम पक्ष दिनांक 13.03.2018, 05.05.18 एवं 07.05.18 को लगातार तीन तिथियों को उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 07.05.2018 को प्रथम पक्ष को अंतिम मौका दिया गया, परन्तु प्रथम पक्ष आज भी अनुपस्थित हैं, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवेदन का अवलोकन किया। आवेदिका के अनुसार विपक्षी के द्वारा दिनांक 08.05.2007 के निबंधित केवाला से मौजा–नेऊरा, थाना नं0 104, खाता सं0 160 खेसरा सं0 779 रकबा 14 कट्ठा का क्रय किया गया। बिक्रेतागण को उक्त भूखण्ड की बिक्री का अधिकार नहीं था, न ही प्रश्नगत भूखण्ड बिक्रेतागण के दखल–कब्जा में थी। इसी बिक्रय पत्र के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 05/2007–08 के द्वारा विपक्षी की जमाबंदी कायम कर दी गयी है। अंचल कार्यालय में उक्त दाखिल खारिज वाद सं0 05/2007–08 का अभिलेख उपलब्ध नहीं है।	

(पलीप)

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 08.05.2007 के निबंधित बिक्रय पत्र को फर्जी बताते हुए विपक्षी को जमाबंदी रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

चूंकि विपक्षी की जमाबंदी निबंधित बिक्रय पत्र के आधार पर कायम है। उक्त बिक्रय पत्र को जब तक सक्षम व्यवहार न्यायालय से निरस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक उसके आधार पर कायम जमाबंदी को अवैध नहीं माना जा सकता है।

आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना